प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 13 फरवरी, 2018

विषय: कैप्टन पंकज सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग), के सेवामुक्त किए जाने सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संविदा अवधि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 893/ना0उ0नि0/2018, दिनांक 09 फरवरी, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कैप्टन पंकज सिंह को दिनांक 15 फरवरी, 2018 के उपरान्त सेवामुक्त किए जाने सम्बन्धी शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-101/2017/2171/छप्पन-2017-41/2011, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को निरस्त करके श्री सिंह की संविदा अवधि दिनांक 16 फरवरी, 2018 से अग्रेतर 05 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2- कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2015/28/छप्पन-15-41/2011 दिनांक 20 फरवरी, 2015 द्वारा श्री सिंह की संविदा अवधि दिनांक 05 जनवरी, 2020 तक बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। संविदा अवधि पूर्ण होने से पूर्व श्री पंकज सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 व प्रार्थना पत्र दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 के माध्यम से 03 माह का नोटिस देते हुए दिनांक 15 फरवरी, 2018 से सेवामुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध कार्यालय ज्ञाप-101/2017/2171/छप्पन-2017-41/2011, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 द्वारा स्वीकार करते हुए श्री पंकज सिंह को दिनांक 15 फरवरी, 2018 से सेवामुक्त किए जाने के आदेश निर्गत कर दिए गए।

3- नोटिस अवधि की सीमा दिनांक 15 फरवरी, 2018 से पूर्व ही श्री पंकज सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) द्वारा विभाग के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श/वार्ता में यह अनुरोध किया गया कि वे अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए तैयार हैं साथ ही उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को निरस्त करके उनकी संविदा अवधि दिनांक 16 फरवरी, 2018 से अग्रेतर 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक बढ़ा दी जाए।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासकीय कार्यहित में एवं विशिष्ट व अतिविशिष्ट महानुभावों की राजकीय यात्राओं के समयबद्ध व निर्बाध सम्पादन की दृष्टि से कार्यालय ज्ञाप संख्या-101/2017/2171/छप्पन-2017-41/2011, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 जिसके द्वारा श्री पंकज सिंह का त्याग-पत्र स्वीकार किया गया है, को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है तथा श्री पंकज सिंह की संविदा अवधि

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 16 फरवरी, 2018 से अग्रेतर 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसे अग्रेतर डी0जी0सी0ए0 के पायलटों के लिए अनुमन्य आयु सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि श्री पंकज सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) की बढ़ाई गई संविदा अवधि के सन्दर्भ में तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कैप्टन पंकज सिंह से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

पृ0संख्या-13/2018/291(1)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध कि साथ प्रेषित कि कैप्टन पंकज सिंह से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियन्त्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
6- कार्मिक अनुभाग-1 ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।